


राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ./ 54 /2020 दिनांक : 04.03.2020

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश/13/2020 दिनांक 27.01.2020 के द्वारा डॉ. ऋचा कौशिक (RJ0857), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, महवा (दौसा) को दिनांक 27.01.2020 से 07.02.2020 तक 12 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 25.01.2020 से 26.01.2020 एवं 08.02.2020 से 09.02.2020 के रौजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, जिसे निरस्त किया जाता है ।

आज्ञा से

 03.3.2020

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.र(4)/27/2015/1563

दिनांक 04.03.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दौसा को उनके पत्रांक 931 दिनांक 27.01.2020 के सन्दर्भ में ।
3. डॉ. ऋचा कौशिक (RJ0857), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, महवा (दौसा) ।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, महवा (दौसा) ।
5. श्री कृष्णकांत (RJ0535), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महवा (दौसा) ।
6. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महवा (दौसा) ।
7. संबंधित कोषालय ।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर ।

 03.3.2020

सहायक रजिस्ट्रार